| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any. | Method of recruitment by direct recruitment or promotion or deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion / deputation/ transfer, grades from which promotion deputation transfer to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Not applicable | 2 yrs. | By direct recruitment failing which by transfer. and failing both by deputation. | Transfer deputation: Persons working in similar or equivalent grades in the Central Government or State Governments, or Major Port Trusts or Public Sector Undertakings. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable. | Not applicable. |

[F. No. PET-29/76]
MRS. B. NIRMAL, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 1485.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, 'चौकीदार' के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सम्मुख कालम-2 तथा 10 के अंतर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कालम 2 : सुरक्षा गार्ड

कालम 10 : (1) वह भूतपूर्व सैनिक जिसकी सशस्त्र सेना में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो और जिसका अपने आर्मी डिस्चार्ज सर्टीफिकेट में चरित्र मूल्यांकन बहुत अच्छा हो।

या

(2) वह भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी जिसकी केन्द्रीय या राज्य पुलिस दल में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो और जिसका अपने डिस्चार्ज सर्टीफिकेट में चरित्र मूल्यांकन बहुत अच्छा हो।

[संख्या 1/1/76-बी(ए)]
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 28th September, 1976

**G.S.R. 1485.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called All India Radio (Class IV Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, against serial No. 7 relating to the post of "Chowkidar", for the entries in columns 2 and 10 the following entries shall be substituted, namely :—

Column 2 : Security Guard.

Column 10 : 1. Ex-serviceman who has put in not less than 3 years of service in the Armed Forces and who has got "Very Good" character assessment in his Army Discharge Certificate.

OR

2. Ex-Police personnel who has put in not less than 3 years of service in the Central or State Police Forces and who has got "Very Good" Character assessment in his Discharge Certificate.

[No. 1/1/76-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

## रेल मंत्रालय
## (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 1486.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल टैरिफ नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम रेल रेड टैरिफ (8वां संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 रेल रेड टैरिफ नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में, नियम 103.3(3), 2023 (1), 3203(1) 402.3(1), 5023(1), 602.3(1) और 702.3(1) के अन्त में निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"देहरी रोहतास लाईट"।

3. उक्त नियमों में, नियम 103.3(4) और 202.3(2) में; 'केवल हाजी बन्दर, स्टोर डिपो स्टेशन पर" शब्दों के स्थान पर "विशेष व्यवस्थाओं के अधीन केवल बी० पी० टी० रेल पर" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 103.3(5), 202 3(3), 302.3(3) 402.3(3), 502.3(3), 602.3(3) और 702.3(3) में, "इंडिया जनरल नेविगेशन एण्ड रेलवे कम्पनी लिमिटेड, और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, अध्याय 1 के अंत में आने वाली सारणी 1 में,

(1) "मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे स्तम्भ 6 में आए हों, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे,